

OFFICE OF THE PRINCIPAL

Govt. Chhatrasal College, Pichhore, Dist. Shivpuri, M.P.

शुल्क वापसी प्रक्रिया

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शित सिद्धांत पुस्तिक के बिन्दु 7.1 के अन्तर्गत प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की शुल्क वापस करने की प्रक्रिया निम्न है –

1. ई-प्रवेश पोर्टल पर प्रवेशित छात्र द्वारा स्वयं प्रवेश निरस्त कराना।
2. आवेदन निरस्त कराने के एक सप्ताह के अंदर लिखित आवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करना जिसके साथ निम्न प्रपत्र संलग्न हों –
 - (a) प्रवेश निरस्त होने का प्रपत्र
 - (b) बैंक पासबुक की छायाप्रति
 - (c) प्रवेश अलॉटमेंट रसीद
 - (d) शुल्क जमा करने की रसीद
3. निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नियमानुसार शुल्क वापसी की पात्रता के अनुसार छात्र की शुल्क उसके खाते में जमा कर दी जाएगी।